कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरदोई

पत्रॉकः– सी0एफ0ओ0/एफ0पी0/पेट्रोल पम्प– 127/एफ0एस0–2015 दिनॉक:दिसम्बर/3..2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(सं0 का0)
हरदोई

दिषयः– इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनॉकः 05.10..2015 के द्वारा गाटा संख्या–349 ग्राम खजुरमई थाना बघौली जनपद हरदोई पर रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 2637/XX –जे0ए0–अनापत्ति /2015 दिनॉकः– 20.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

ढॉचागत संरचना के सम्बन्ध में।

1.प्रस्तावित स्थल हरदोई से लखनऊ मार्ग पर है।
2.प्रस्तावित रिटेल आउलेट भूमि के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नही गयी हैं
3. कुल भूखण्ड एरिया 35X 35 वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित ऊचॉई 3.75 मीटर है।
4.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नही है।
5.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट में प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित है प्रत्येक की चौडाई 11.50 मीटर है जो मानक के अनुरूप है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

प्रस्तावित आउट लेट स्थापित किये जाने के उपरान्त एवं संचालित किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा–

1.एक अदद ए0एफ0एफ0एफ0 फोम ट्राली 50 लीटर क्षमता का प्रवन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
2.प्रत्येक डिस्पेसिंग यूनिट पर 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 09 किग्रा0क्षमता का आई0एस015683 के अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
3.जनरेटर हेतु 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 एक्सटिंग्यूशर 09 किग्रा क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा।
4.08 अदद फायर बकेट मय स्टैण्ड अधिष्ठापन आवश्यक होगा ।
5.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं 02 अदद बेल्चा रखा जाना आवश्यक होगा।
6.धूम्रपान निषेध की पट्टिका को लगाया जाना आवश्यक होगा।
7.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लैमप्रूफ लाइटो का ही प्रयोग किया जायेगा।
8.जनरेटर का एग्झास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्झास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
9.अण्डर ग्राउण्ड एमएस/एचएसडी टैंक की अर्थिग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
10.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ0आई0एस0डी0 मानको का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन करना होगा।
11.ओवर हेड इलैक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित व्यवस्था के बीच की दूरी इंडियन इलैक्ट्रिक सिटी रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुरुप होनी चाहिए।
12.निकटतम फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या संख्या– 349 ग्राम खजुरमई थाना बघौली जनपद हरदोई में एम0एस0/एच0एस0डी0 रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउट लेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाओ का अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(आर0एस0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

प्रतिलिपिः– 1 स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त अंकित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु ।

(आर0एस0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई